[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 02/2024-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2024

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II में- 12%,-

(i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"121क	4819 10, 4819 20	कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा (ख) गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड, से बने हों";

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"180क	7310,7323,7612, या 7615	लौह, स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन";

(iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"183क	7321 या 8516	सोलर कूकर";

(iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शावकित्र" के पश्चात, "उनके पुर्जे" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III में- 18%,-

(i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथाः-

"153क	4819 (4819 10, 4819	सभी वस्तुएं

	20 को छोड़कर)	(कार्टन, बॉक्स और केस जो कि- (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा (ख) गैर-नलीदार कागज या पेपर बोर्ड से बने हों, को छोड़कर)";

(ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर , किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी , वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान , जिनकी धारिता ३०० लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं , किन्तु जिनमे यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों" शब्दों के लिए "वुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों "बॉक्स आदि" के पश्चात ", एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 275 क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 378 क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और प्रतीक "अन्य तापीय साधित्र" के पश्चात, "[सोलर कूकर को छोड़कर]" कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।" ।

2 यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फाइल सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2024-एकीकृत कर (दर), दिनांक 03 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 03 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।